

[2023] 4 एस. सी. आर 280

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

योगीश नवीनचंद्र रावणी

बनाम

नंजीभाई सागरामभाई चौधरी और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 3114-3115)

/

अप्रैल 25,2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.]

पावर ऑफ अटॉर्नी:पावर ऑफ अटॉर्नी धारक की भूमिका-पुनर्स्थापना के लिए आवेदन, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के कहने पर, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दी गई थी-इसकी अनुज्ञात ्यता मान्य नहीं है-तथ्यों पर, बिक्री विलेख को चुनौती देने वाले मूल वादी द्वारा मुकदमा-इसके बाद, मूल वादी की 2006 में मृत्यु हो गई और उसके एलआर को रिकॉर्ड में लाया गया-मुकदमा निचली न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-एलआर और मूल वादी के अपीलकर्ता-बेटे द्वारा दायर पहली अपील भी खारिज कर दी गई-इसके बाद 2015 में, वीएम द्वारा दायर दूसरी अपील, मूल वादी द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा, उसकी मृत्यु से पहले-वीएम को भी अपीलकर्ता द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक नियुक्त किया गया था-वीएम ने अपीलकर्ता के सभी एलआर का प्रतिनिधित्व किया।उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील को बहाल करने का आदेश, पोषणीय नहीं है और रद्द कर दिया गया है और दरकिनार कर दिया गया है-चूंकि वी. एम. के पास अपीलकर्ता की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी था, इसलिए अपील केवल उसकी ओर से दायर की जा सकती थी-अपीलकर्ता ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके वी. एम. के पक्ष में जारी पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया था-इस प्रकार, वी. एम. के पास कोई अधिकार नहीं था।

/

/

/

/

/

/

280 ए.

281

योगीश नविचंद्र रावणी बनाम नंजीभाई संग्रामभाई चौधरी और हमारा।

दूसरी अपील को जारी रखने का विधि ी अधिकार-अन्य एल. आर. के स्थानांतरण की अनुज्ञात दिए जाने के बाद, अपीलकर्ता एकमात्र अपीलकर्ता था-इस प्रकार, डोमिनस लिटिस के रूप में अपनी स्थिति में, वह दूसरी अपील को वापस लेने के अपने अधिकार के भीतर था- अपीलार्थी द्वारा दूसरी अपील को वापस लेने के बाद, पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के कहने पर, जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दिया गया था, बिल्कुल भी मान्य नहीं था।

/

प्रतिकूल टिप्पणियां-उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों का स्पष्टीकरण-का औचित्य- आयोजित:अपीलार्थी के खिलाफ टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक है।

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील संख्या 3114-3115।

2018 के सी. ए. संख्या 2 और 2018 के एम. सी. ए. संख्या 1 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।सह

/

2023 की सिविल अपील संख्या 3116-3117।

हरिन रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंदो मुखर्जी, सुश्री एकता भारती, सुश्री श्रेया बंसल, सुश्री श्रेष्ठ नारायण, मेसर्स और एंड कंपनी, शशांक खुराना, सुश्री शालिनी सिंह, सुश्री दिव्या आनंद, अंकित आनंदराज शाह, कुमार आदित्य, विवेक बेनीवाल, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अनुमति दी गई।

/

2. योगेश नवीनचंद्र रावणी द्वारा दायर 2020 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 13943-13944 से उत्पन्न अपीलों में 14 फरवरी 2020 के अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में सिविल आवेदन (देरी को माफ करने के लिए) संख्या 2 में 2018 के आर/दूसरी अपील संख्या 238 में पारित किया था। 2015 की आर/दूसरी अपील संख्या 238 में 2018 का सिविल आवेदन (समीक्षा के लिए) संख्या 1, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-योगेश नवीनचंद्र रावणी के खिलाफ सख्त कदम उठाए और 11 सितंबर 2017 के अपने आदेश को वापस ले लिया, जिससे उपरोक्त दूसरी अपील को उसकी मूल संख्या और स्थिति में बहाल कर दिया गया।

/

/

282

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

3. उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों से व्यथित, अपीलार्थी-योगेश नवीनचंद्र रावणी ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है ताकि उन टिप्पणियों को हटा दिया जा सके।

4. 2020 के एसएलपी (सी) संख्या 13079-13080 से उत्पन्न अपील ललितभाई जेसांगभाई परमार द्वारा ऊपर दिए गए उसी आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, हालांकि यहां चुनौती दूसरी अपील को उसके मूल नंबर और स्थिति में बहाल करने और अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार पर लगाए गए खर्च के खिलाफ है।

/

5. संक्षेप अंतर्गत , वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

/

5.1 एक जेसांगभाई कछराभाई परमार (जिसे इसके बाद "मूल वादी" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश, मेहसाणा के समक्ष 2015 का नियमित दीवानी मुकदमा संख्या 92 (पुराना No.165/2001) वाला एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें 14

सितंबर 2000 के बिक्री विलेख को चुनौती दी गई थी, जिसे ननजीभाई संग्रामभाई चौधरी ने सुरेशभाई हीराभाई चौधरी के पक्ष में मुकदमा संपत्ति के संबंध में निष्पादित किया था।

/

5.2 उक्त मुकदमे को 7 वें अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, मेहसाणा ने 12 जून 2008 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से खारिज कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि मूल वादी की अवधि 31 दिसंबर 2006 को समाप्त हो गई थी, अर्थात् उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान और उसके कानूनी प्रतिनिधियों (संक्षेप में "एल. आर.") को उक्त कार्यवाही में अभिलेख पर लाया गया था।

/

5.3 पहली अपील, 2008 की नियमित दीवानी अपील संख्या 77 थी, जिसे मूल वादी के एल. आर. द्वारा 4 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मेहसाणा के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें मूल वादी का बेटा ललितभाई जेसांगभाई परमार भी शामिल था, जिसे 23 जुलाई 2015 के निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

/

5.4 इसके बाद, एक दूसरी अपील, जो 2015 की नियमित दूसरी अपील संख्या 238 थी, उच्च न्यायालय के समक्ष मूल वादी के एल. आर. द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार भी शामिल थे। यह ध्यान देने योग्य है कि दूसरी अपील, जिसमें वादी के सभी एल. आर. को अपीलार्थी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, को एक विट्ठलभाई मगनभाई परमार द्वारा पसंद किया गया था, जो मूल वादी द्वारा 4 जनवरी 2001 को उनकी मृत्यु से पहले निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक थे। एक अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 20 नवंबर ए

/

/

283

योगीश नविचंद्र रावणी बनाम नंजीभाई संग्रामभाई चौधरी और हमारा। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

2012, अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार द्वारा भी उनके पक्ष में फांसी दी गई थी। इस प्रकार, विट्ठलभाई मगनभाई परमार केवल अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक थे, न कि मूल वादी के अन्य एल. आर. के लिए जिनकी ओर से उपरोक्त दूसरी अपील को प्राथमिकता दी गई थी। महत्वपूर्ण रूप से, मूल वादी के अन्य एल. आर. ने उपरोक्त दूसरी अपील को प्राथमिकता देने के लिए किसी भी वकालतनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

/

5.5 उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने उपरोक्त विसंगति को स्वीकार करते हुए कार्यालय की आपत्तियों को उठाया कि क्या वकालतनामा पर सभी अपीलार्थियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे या नहीं।

/

5.6 बार-बार अवसरों के बावजूद, इन आपत्तियों को नहीं हटाया गया और कार्यालय की आपत्तियों को न हटाने के लिए उपरोक्त दूसरी अपील 27 नवंबर 2015 को खारिज कर दी गई। इसके बाद, दूसरी अपील की बहाली के लिए 2016 का विविध सिविल आवेदन संख्या 894 नामक एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, यानी विठ्ठलभाई मगनभाई परमार ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को सूचित किया था कि वह मृतक मूल वादी के सभी एल. आर. से प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

/

5.7 उच्च न्यायालय ने 9 मार्च 2016 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को अनुज्ञात कर लिया और दूसरी अपील को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया।

/

5.8 इसके बाद, 21 अप्रैल 2016 के अपने आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील स्वीकार की गई और पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है।

/

5.9 अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक-विठ्ठलभाई द्वारा उपरोक्त दूसरी अपील दायर करने के बारे में जानने पर, 20 जून 2017 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया, क्योंकि उपरोक्त दूसरी अपील उनकी जानकारी या निर्देश के बिना दायर की गई थी। पावर ऑफ अटॉर्नी के रद्द होने के बाद, अपीलकर्ता-ललितभाई जेसांगभाई परमार ने अपीलकर्ता-एक अधिवक्ता, योगेश नवीनचंद्र रावणी को दूसरी अपील और संबद्ध दीवानी आवेदनों को वापस लेने के लिए याचिका दायर करने के लिए नियुक्त किया।

/

/

/

5.10 उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त कार्यवाही को दर्ज किया और दूसरी अपील को वापस लेने की अनुमति दी।

5.11 हालाँकि, विठ्ठलभाई मगनभाई परमार के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने के बाद भी, उन्होंने विविध याचिकाएँ दायर कीं। 11 सितंबर 2017 के अपने आदेश की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 का सिविल आवेदन संख्या 1 और इसके परिणामस्वरूप दूसरी अपील की बहाली के साथ-साथ विविध।देरी को माफ करने के लिए 2018 का सिविल आवेदन संख्या 2।

/

5.12 उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी 2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से उपरोक्त आवेदनों को अनुज्ञात , जिससे दूसरी अपील को उसकी मूल संख्या और स्थिति में बहाल किया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार पर जुर्माना लगाया गया और अपीलार्थी-योगेश नवीनचंद्र रावणी के खिलाफ ललितभाई जेसांगभाई परमार के वकील के रूप में उनके आचरण के लिए सख्त कार्रवाई की गई, जबकि दूसरी अपील को वापस लेने की मांग की गई। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

/

/

6. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री हरिन रावल और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री दिव्या आनंद और श्री अंकित आनंदराज शाह को सुना है।

/

7. श्री रावल प्रस्तुत करते हैं कि तथाकथित पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विठ्ठलभाई मगनभाई परमार के कहने पर 11 सितंबर 2017 के आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन ही विचारणीय नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विठ्ठलभाई मगनभाई परमार के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी को 20 जून, 2017 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 4 जनवरी 2001 को मूल वादी के पूर्ववर्ती पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके दायर समीक्षा के लिए आवेदन दायर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मूल वादी की मृत्यु पर, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विठ्ठलभाई मगनभाई परमार को कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार नहीं था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब तक मृतक मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा एक नए पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित नहीं किया जाता, तब तक वह कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार

अपीलकर्ता-ललितभाई जेसांगभाई परमार ने मृतक मूल वादी ए के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के स्थानांतरण के लिए एक आवेदन दायर किया था।

/

/

/

285

योगीश नविचंद्र रावणी बनाम नंजीभाई संग्रामभाई चौधरी और हमारा। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

प्रतिवादियों के रूप में और एक बार जब उच्च न्यायालय अनुज्ञात 9 मार्च 2016 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को मंजूरी दे दी, तो वह डोमिनस बन गए

लिटिस।

8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता-ललितभाई जेसांगभाई परमार की ओर से पेश होने वाले केवल एक वकील, योगेश नवीनचंद्र रावणी के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा पारित सख्ती पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक थी।

/

9. प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 ने अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उक्त विट्ठलभाई मगनभाई परमार के पक्ष में किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनका इरादा 23 जुलाई 2015 के आदेश को चुनौती देने का भी नहीं था, जिसे चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मेहसाणा ने पहली अपील को खारिज करते हुए पारित किया था। 2008 की नियमित सिविल अपील और इस प्रकार, विट्ठलभाई मगनभाई परमार द्वारा दूसरी अपील की बहाली के लिए दायर आवेदन मान्य नहीं था।

/

/

10. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि 2015 की दूसरी अपील विट्ठलभाई मगनभाई परमार द्वारा मूल वादी के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से दायर की गई थी, जो मूल वादी द्वारा 4 जनवरी 2001 को निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होने का दावा करती है। 20 नवंबर 2012 को एक अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी को अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार द्वारा उक्त विट्ठलभाई मगनभाई परमार के पक्ष में निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 31 दिसंबर 2006 को मूल वादी की मृत्यु के बाद, विट्ठलभाई मगनभाई परमार के पक्ष में उनके द्वारा 4 जनवरी 2001 को निष्पादित उक्त

पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि उक्त विठ्ठलभाई मगनभाई परमार के पक्ष में एक अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया गया था, लेकिन इसे केवल अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार द्वारा निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, विठ्ठलभाई मगनभाई परमार को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं था।

/

/

/

11. उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह देखते हुए कि वकालतनामा पर सभी अपीलार्थियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, कार्यालय की आपत्तियां उठाई थीं। कार्यालय-आपत्तियों को न हटाने पर, दूसरी अपील 27 नवंबर 2015 को खारिज कर दी गई। इसके बाद, दूसरी अपील की बहाली के लिए 2016 का विविध सिविल आवेदन संख्या 894 दायर किया गया। उक्त आवेदन भी उक्त विठ्ठलभाई द्वारा दायर किया गया था।

/

286

/

[2023] 4 एस सी आर।

मगनभाई परमार। उक्त आवेदन में विठ्ठलभाई मगनभाई परमार द्वारा किए गए कथनों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:

“3. आवेदकों का कहना है कि रजिस्ट्री द्वारा मृतक वादी के सभी उत्तराधिकारियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकरण पत्र को पेश न करने के संबंध में एक कार्यालय आपत्ति उठाई गई थी, जिसमें प्रतिवादी को दूसरी अपील करने के लिए अधिकृत किया गया था। आवेदक का कहना है कि प्रतिवादी ने रजिस्ट्री को मृत वादी के सभी उत्तराधिकारियों का प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने में असमर्थता के बारे में सूचित किया था और प्रतिवादी के रूप में उनके स्थानांतरण की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

/

/

आवेदक प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक एक प्रामाणिक धारणा अंतर्गत थे कि इसकी अनुज्ञात जाएगी और अपील को रजिस्ट्री द्वारा नियत समय अंतर्गत प्रवेश सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

..."

/

12. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने 9 मार्च 2016 के आदेश के माध्यम से दूसरी अपील को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि 13 अप्रैल 2016 के कार्यालय अनुमोदन के माध्यम से, मसौदा संशोधन और नामों के साथ नए शीर्षक को स्वीकार कर लिया गया था और इस तरह, कार्यालय की आपत्ति को हटा दिया गया था।

/

14. अभिलेख से आगे यह प्रतीत होता है कि 2015 की दूसरी अपील में अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता नानावती एंड कंपनी द्वारा मसौदा संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उसी को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

/

“आवेदक उपरोक्त मामले में याचिका ज्ञापन में संशोधन करने की प्रार्थना करता है। आवेदक प्रस्तुत करता है कि प्रामाणिक गलती के कारण उपरोक्त दूसरी अपील में शीर्षक (अपीलार्थी पक्ष) में सभी वादी के नामों का उल्लेख किया गया था। आवेदक प्रस्तुत करता है कि केवल कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक-ललितभाई जेसांगभाई परमार पावर ऑफ अटॉर्नी विट्ठलभाई मगनभाई परमार के माध्यम से कानूनी उपाय करने के इच्छुक हैं। इसलिए, मैं इस माननीय न्यायालय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह अपील के ज्ञापन के शीर्षक को इसके साथ प्रदान किए गए एक नए शीर्षक के साथ प्रतिस्थापित करे। ”

/

/

287

योगीश नविचंद्र रावणी बनाम नंजीभाई संग्रामभाई चौधरी और हमारा। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

/

15. इसके बाद, अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार द्वारा 19 जुलाई 2017 को एक अधिसूचित पर्सी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि अन्य अपीलार्थियों के स्थानांतरण के कारण, वह एकमात्र अपीलार्थी थे और वह दूसरी अपील को वापस लेना चाहते थे। इस प्रकार,

11 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को वापस लेने की अनुमति दी, और दूसरी अपील को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।

/

16. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि चूंकि विठ्ठलभाई मगनभाई परमार के पास अपीलकर्ता-ललितभाई जेसांगभाई परमार की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी था, इसलिए अपील केवल उनकी ओर से दायर की जा सकती थी। अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार ने 21 जून, 2017 को दैनिक समाचार पत्र 'संदेश' में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके 20 जून, 2017 को विठ्ठलभाई मगनभाई परमार के पक्ष में जारी पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया था। इस प्रकार, विठ्ठलभाई मगनभाई परमार के पास दूसरी अपील जारी रखने का कोई विधि की अधिकार नहीं था।

/

17. इसलिए, हमारा विचार है कि उक्त विठ्ठलभाई मगनभाई परमार द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को दायर 2018 का सिविल आवेदन संख्या 1 (बहाली के लिए) ही मान्य नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार द्वारा 20 नवंबर 2012 को उनके पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को बाद में 20 जून 2017 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके रद्द कर दिया गया था।

/

/

18. इसलिए, हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्णय से एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है जहां अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार, जो दूसरी अपील पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं, अपनी अपील को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे। इसी तरह, मृतक मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारी, जो कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें मुकदमेबाजी जारी रखने के लिए मजबूर किया जाएगा।

/

19. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अन्य एल. आर. के स्थानांतरण की अनुज्ञात दिए जाने के बाद, अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार एकमात्र अपीलार्थी थे। इस प्रकार, डोमिनस लिटिस के रूप में अपनी स्थिति में, वह दूसरी अपील को वापस लेने के अपने अधिकार के भीतर बहुत अच्छी तरह से थे। अपीलार्थी-ललितभाई जेसांगभाई परमार द्वारा दूसरी अपील को वापस लेने के बाद, पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के कहने पर, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दी गई थी, बिल्कुल भी मान्य नहीं था। 20. किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि अपीलार्थी-योगीश के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक थीं।

/

/

288

/

[2023] 4 एस सी आर।

21. मामले के इस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि ी रूप से पोषणीय नहीं है।उसी को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

22. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलों की अनुज्ञात जाती है।

23. उल्लिखित कारणों के लिए, प्रतिवादी संख्या 4 को हटाने के लिए 2020 के आई. ए. No.129619 की अनुज्ञात है।सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/